

On-line applications are invited from students for award of Merit Scholarships

Guidelines for award of Scholarship to students of Sanskrit Pathashalas / Mahavidyalayas / High/Higher Secondary Schools / Colleges for the year 2019-2020 under the scheme for Development of Sanskrit Education

Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University), New Delhi established under the auspices of the Ministry of Human Resource Development, Government of India invites on-line applications from the regular students studying *Sanskrit/Pali/Prakrit* as a main or optional subject in any recognized *Sanskrit Pathashala/Sanskrit Mahavidyalaya/ Sanskrit Vishwavidyalaya in Traditional Stream* or School/College/University in Modern Stream pursuing *Purva-Madhyama*(1st year)/9th standard, *Purva-Madhyama*(2nd year)/10th standard, *Uttar-Madhyama/Prakshastri*(1st year)/11th standard, *Uttar-Madhyama/Prakshastri*(2nd year)/12th standard, *Shastri /B.A* (1st/2nd/3rd year), *Acharya/M.A*(1st/2nd year), *Vidyawaridhi/Ph.D.* or equivalent for the purpose of award of merit Scholarship for the year 2019-2020 to its students under the scheme for Development of Sanskrit Education.

- **Only on-line application will be accepted. No need of sending any documents by post or other means.**
- **Starting and Closing dates of on-line registration of Institutions and submission of applications of the students are given as under:-**

Steps	Description	Specific dates	
Step- 1	All Educational Institutions to be got registered on-line or for profile updation at www.sanskrit.nic.in or www.scholarship.rsk.in	Starting date of online registration 30.7.2019	Closing date of online registration 20.10.2019
Step- 2	After activation of the relevant institution, student can login and apply for scholarship in On-line application at www.sanskrit.nic.in or www.scholarship.rsk.in	Starting date of submission online application 30.7.2019	Closing date of online application 31.10.2019

Student who wish to apply for scholarship (online) may see the following details :-

a) Number of Scholarships -

- (i) The Number of Scholarships to be awarded each year depends upon the availability of funds. Reservations will be provided as per the Government policy from time to time.
- (ii) The Scholarship will be awarded to regular students of Educational Institutions, who study Sanskrit/Pali/Prakrit as a subject in the present class as well as previous class also.

b) Qualifications -

Eligibility criteria for scholarship is as following:-

S. No.	Courses of study for which Scholarship is given	Eligibility Criteria	Scholarship amount
1.	Class 9 th standard/Purva-Madhyama-1 st year or equivalent course	Must have passed the previous examination (i.e. 8 th class or equivalent course) with a minimum of 60% marks or equal grade in overall and 60% marks or equal grade in Sanskrit/Pali/Prakrit. The students should have opted Sanskrit/Pali/Prakrit as a paper of at-least 100 marks or equivalent grade in current class and also in previous class (i.e. 8th class or equivalent course).	Rs.250/- p.m. for 10 months (Rs.2500/- p.a.)
2.	Class 10 th standard/Purva-Madhyama-1 st year or equivalent course	Must have passed the previous examination (i.e. 9 th class or equivalent course) with a minimum of 60% marks or equal grade in overall and 60% marks or equal grade in Sanskrit/Pali/Prakrit. The students should have opted Sanskrit/Pali/Prakrit as a paper of at-least 100 marks or equivalent grade in current class and also in previous class (i.e. 9th class or equivalent course).	Rs.250/- p.m. for 10 months (Rs.2500/- p.a.)
3.	Class 11 th standard/ Prak-Shastri-1 st year/ Uttarmadhyama-1 st year or equivalent course	Must have passed the previous examination (i.e. 10 th class or equivalent course) with a minimum of 60% marks or equal grade in overall and 60% marks or equal grade in Sanskrit/Pali/Prakrit. The students should have opted Sanskrit/Pali/Prakrit as a paper of at-least 100 marks or equivalent grade in current class and also in previous class (i.e. 10 th standard or equivalent course).	Rs.300/- p.m. for 10 months (Rs.3000/- p.a.)
4.	Class 12 th standard/Prak-Shastri-2 nd / Uttarmadhyama-2 nd year or equivalent course	Must have passed the previous examination (i.e. 11 th class or equivalent course) with a minimum of 60% marks or equal grade in overall and 60% marks or equal grade in Sanskrit/Pali/Prakrit. The students should have opted Sanskrit/Pali/Prakrit as a paper of at-least 100 marks or equivalent grade in current class and also in previous class (i.e. 11th class or equivalent course).	Rs.300/- p.m. for 10 months (Rs.3000/- p.a.)
5.	Shastri-1 st /B.A.-1 st / B.A.(Hons.)-1 st or equivalent course	Must have passed Intermediate/Higher Secondary / 12 th class or equivalent course with minimum 60% marks or equal grade in overall subject and also 60% marks or equal grade in the Sanskrit/Pali/Prakrit. The students should have opted Sanskrit/Pali/Prakrit as a paper of at-least 100 marks or equivalent grade in current class and also in previous class (i.e. 12th class or equivalent course).	Rs.400/- p.m. for 10 months (Rs.4000/- p.a.)
6.	Shastri-2 nd /B.A.-2 nd / B.A.(Hons.)-2 nd or equivalent course	Must have passed Shastri-1 st /B.A.-1 st / B.A.(Hons.)-1 st year or equivalent examination with minimum 60% marks or equal grade in overall subject and also 60% marks or equal grade in the Sanskrit/Pali/Prakrit. The candidate passed previous two semester/one year or equivalent course (i.e. Shastri-1 st / B.A.-1 st / B.A.(Hons.)-1 st year or equivalent course). The students should have opted Sanskrit/Pali/Prakrit as a paper of at-least 100 marks or equivalent grade in current class and also in previous class (i.e. Shastri-1 st / B.A.-1 st / B.A.(Hons.)-1 st year or equivalent course).	Rs.400/- p.m. for 10 months (Rs.4000/- p.a.)

7.	Shastri-3 rd /B.A.-3 rd / B.A.(Hons.)-3 rd or equivalent course	Must have passed Shastri-2 nd /B.A.-2 nd / B.A.(Hons.)-2 nd or equivalent examination with minimum 60% marks or equal grade in overall subject and also 60% marks or equal grade in the Sanskrit/Pali/Prakrit. The candidate passed previous two semester/one year or equivalent course (i.e. Shastri-2 nd /B.A.-2 nd / B.A.(Hons.)-2 nd year or equivalent course). The students should have opted Sanskrit/Pali/Prakrit as a paper of at-least 100 marks or equivalent grade in current class and also in previous class (i.e. Shastri-2 nd /B.A.-2 nd / B.A.(Hons.)-2 nd year or equivalent course).	Rs.400/- p.m. for 10 months (Rs.4000/- p.a.)
8.	Acharya-1 st /M.A.-1 st year or equivalent in Sanskrit/ Pali/Prakrit	Must have passed Graduation with at-least 60% marks or equal grade in the aggregate and also 60% marks or equal grade in the Sanskrit/Pali/ Prakrit. The students should have opted Sanskrit/Pali/Prakrit as a special subject in current class/course and at-least 100 marks or equal grade in previous class (i.e. Shastri-3 rd /B.A.-3 rd / B.A.(Hons.)-3 rd year or equivalent course).	Rs.500/- p.m. for 10 months (Rs.5000/- p.a.)
9.	Acharya-2 nd /M.A.-2 nd year or equivalent in Sanskrit/ Pali/Prakrit	Must have passed Acharya-1 st /M.A.-1 st year or equivalent with at-least 60% marks or equal grade in Sanskrit/Pali/Prakrit. The candidate should have opted Sanskrit/Pali/Prakrit as a special subject in current class/course.	Rs.500/- p.m. for 10 months (Rs.5000/- p.a.)
10.	Vidyavaridhi/Ph.D. or equivalent in Sanskrit/Pali/Prakrit.	Must have passed Acharya or M.A. in Sanskrit/Pali/Prakrit with at-least 60% marks in the aggregate. The registration of the candidate in Ph.D. course should be done before advertisement and not more than two years from the date of registration.	Rs.1500/- p.m. for 12 months+Rs.2000/- per year as contingent. (i.e. Rs.20,000.00 per year) Maximum scholarships for two years only

c) Relaxation :- Eligibility criteria for minimum percentage of marks for the candidates belonging to the categories mentioned below shall be as under :-

OBC	-	55%
SC/ST	-	50%
Divine Body (P.H.)	-	50%

The relaxation in the required percentage to the S.C., S.T., P.H. & OBC student will be given on furnishing of the caste certificate by his/her own name from the designated authorities. The caste certificate in the name of parents or any family members of the applicant will not be entertained.

No relaxation in eligibility criteria for minimum percentage of marks for the candidates belonging to Economically Weaker Section (EWS). However, as per the Govt. of India, the benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an Income and Asset Certificate issued by a Competent Authority.

d) **Mode of Selection -**

- (i) The Rashtriya Sanskrit Sansthan will award Scholaships on the recommendations of a Selection Committee constituted by the Sansthan for the purpose.
- (ii) The recommendation of Selection Committee will be placed before GIAC for final approval.
- (iii) The merit would be prepared by taking into account the overall grade/percentage plus grade/percentage obtained in Sanskrit. However for student of Sanskrit honours or traditional stream students, the overall grade/percentage obtained in Sanskrit Honours/Traditional streams will be taken for consideration.
- (iv) The list of awardees will be prepared based on a cut off percentage of marks obtained by the students in their previous classes.

e) **Other Terms & Conditions-**

- 1- Students must have opted for the subject i.e. Sanskrit/Pali/Prakrit in the present class of Study for which he /she has applied for the Scholarship. However, the grants of Scholarship will depend on the marks secured in the previous class of study in the concerned above subject and overall percentage.
- 2- The Scholarship will of the concerned Academic year tenable for one Academic year i.e (10 months) starting from the 1st July and ending with 30th April. As Scholarship is awarded only for one academic year on the basis of marks obtained in the previous examination, students have to apply every year afresh. It will not be renewed automatically.
- 3- The Scholarship for the Ph.D/Vidyavaridhi will be tenable for two full years i.e. 24 months subject to satisfactory progress report. The scholar shall send Utilization Certificate and Progress Report on the work done by the scholar through the Guide and Head of the Department, to enable the Sansthan to consider the Scholarship for the second year.
- 4- As per guidelines of the Scheme, a list of the students provisionally eligible for the award of scholarship will be sent through E-mail or By post, to the Principal/H.O.D./Dean of the concerned institution for verification.
- 5- The details of the students, verified by the Principal/H.O.D./Dean of the concerned institution shall be countersigned by the following respective authority:-

- | | | |
|-------|---|--|
| (i) | For Affiliated schools | - Director of Education State/District Education Officer/ Block Education Officer. |
| (ii) | For Govt. Schools | - Principal of concerned School. |
| (iii) | For Kendriya Vidyalaya | - Principal of concerned School. |
| (iv) | For Govt. Colleges | - Principal of the concerned College. |
| (v) | For affiliated Colleges | - Registrar of the affiliating University. |
| (vi) | For affiliated institutions of
Rashtriya Sanskrit Sansthan | - Principal of affiliated institution. |

Scholarship will be released, subject to receipt of the hard copy of verified details of the student by the respective Principal/HOD/Dean and countersigned by the above respective authority within the prescribed time.

- 6- **The details of the student countersigned by any authorities other than the above will not be entertained.**

- 7- **No need of uploading any documents or sending by post or other means for submitting the application in online for scholarships.**
- 8- Bank account should be linked with Aadhar number.
- 9- The Scholarship amount will be payable from the 1st July of every academic year. The amount will be released directly to the account of concerned selected student(s) through PFMS/E-transfer/NEFT and an intimation letter will be sent through E-mail or By post to the concerned Vidyalyaya /institution/University for information.
- 10- If, a student is in receipt of any Scholarship / monetary benefit from any other institution during this academic year, will not be considered for award of any scholarship of the Sansthan under this Scheme. A student who accepts any remunerative job during the tenure of the Scholarship or undertakes to any other course of study which does not have component of Sanskrit will be disqualified from receiving this Scholarship.
- 11- Every student will be required to submit application form in the prescribed proforma indicating interalia :-
 - (i) He/She is pursuing a course of study with Sanskrit/Pali/Prakrit as a regular student for which he/she has applied for the Scholarship.
 - (ii) He/She is not in receipt of any other Scholarship or Stipend from any other source.
 - (iii) He/She is not employed anywhere.
 - (iv) If the student is awarded Scholarship from any other source and/or is employed he/she will immediately inform the Sansthan through proper channel.
- 12- For awarding scholarship to the students, who have joined MA after completing B.Ed. the marks obtained by the applicant in BA class will be taken into account provided; there is no gap in the study. Likewise if a student joined Ph.D after completing B.Ed/M.Ed./M.Phil the marks obtained by his/her in M.A. will be taken into account for award of scholarship. It is also clarified that in case of Ph.D. scholars, the gap of not more than two years after M.A., can be allowed.
- 13- The student will be considered for scholarship, if he/she has undergone a course of not less than one year or two semesters in Sanskrit.
- 14- The marks obtained in Sanskrit as additional subject will also be considered for the purpose of scholarship.
- 15- In the column "State" as mentioned in the on-line application, the applicant is required to indicate the name of the State where he is studying.
- 16- Wherever, the Marks of the Modern Indian Language-1/2/3 is given in the mark sheets, Sanskrit language as a subject shall clearly be indicated.
- 17- A student should apply for scholarship only once in the duration of every academic session.
- 18- The Applications received prior to the date of advertisement, submitted off line, incomplete, filled in old format and separately printed will not be entertained.
- 19- The Sansthan reserves the right to carry out any changes in these terms and conditions as it may consider necessary. The Sansthan also reserves the right to reject any application without assigning any reason. The decision of the Sansthan in this regard will be final and binding.

Registrar

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

मानित विश्वविद्यालय

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में संचालित)

56-57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.

राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'ए' श्रेणी में प्रत्यायित

मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु छात्रों से ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं।

संस्कृत विकास की योजना के अन्तर्गत संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों/ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्रों से सत्र-2019-20 की मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका

संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षा के विकास की योजना के अन्तर्गत परम्परागत धारा में मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशाला/संस्कृत महाविद्यालय/संस्कृत विश्वविद्यालय तथा आधुनिक धारा में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पूर्वमध्यमा(प्रथमवर्ष)/9वीं, पूर्वमध्यमा(द्वितीयवर्ष)/10वीं, उत्तरमध्यमा/प्राक्शास्त्री(प्रथमवर्ष) /11वीं, उत्तरमध्यमा/प्राक्शास्त्री(द्वितीयवर्ष)/12वीं, शास्त्री/बी.ए.(प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष), आचार्य/एम.ए.(प्रथम/द्वितीय वर्ष) तथा विद्यावारिधि/पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों में अथवा तत्सम पाठ्यक्रमों में संस्कृत/पालि/प्राकृत भाषा को मुख्य विषय या ऐच्छिक विषय के रूप में नियमित अध्ययनरत/प्रवेशित छात्रों के लिए वर्ष-2019-20 की मेधावी छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की वेबसाइट www.sanskrit.nic.in अथवा scholarship.rsks.in पर आमन्त्रित किए जाते हैं:-

- छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन ही स्वीकार्य है। कोई भी आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से संस्थान को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- ऑनलाईन संस्थाओं का पंजीकरण तथा आवेदन करने की प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथियाँ :-

सोपान	विस्तृत सूचना	निर्धारित तिथियाँ	
Step-1.	सभी शैक्षिक संस्थाओं को www.sanskrit.nic.in अथवा scholarship.rsks.in वेबसाइट में ऑनलाईन पंजीकरण एवं प्रोफाइल अपडेशन करना होगा।	पंजीकरण करने की आरम्भ तिथि 30.7.2019	पंजीकरण करने की अन्तिम तिथि 20.10.2019
Step-2.	सम्बद्ध संस्था का नाम ऑनलाईन आवेदन में प्रदर्शित होने के पश्चात् छात्र द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए निर्धारित तिथियाँ।	आवेदन करने की आरम्भ तिथि 30.7.2019	आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.10.2019

छात्रवृत्ति आवेदन के लिए अर्हता/शर्तें, आवश्यक प्रमाण पत्र तथा अन्य विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

अ) छात्रवृत्तियों की संख्या -

- छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की संख्या प्रत्येक वर्ष के धन की उपलब्धता पर निर्भर होगी। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षित नीतियों पर आरक्षण दिया जाएगा।
- छात्रवृत्ति शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय लिया हो साथ ही साथ पिछली उत्तीर्ण कक्षा में भी सम्बन्धित विषय हो।

6.	शास्त्री द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम	शास्त्री प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छात्र को पिछली कक्षा (शास्त्री प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथम वर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम) में दो सेमेस्टर/एक वर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा (शास्त्री प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष/बी.ए. प्रथमवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-400/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-4000/- प्रतिवर्ष)
7.	शास्त्री तृतीयवर्ष/बी.ए. तृतीयवर्ष/बी.ए. तृतीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम	शास्त्री द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड तथा 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड सभी विषयों को मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छात्र को पिछली उत्तीर्ण कक्षा (शास्त्री द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम) में दो सेमेस्टर/एक वर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा (शास्त्री द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष/बी.ए. द्वितीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-400/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-4000/- प्रतिवर्ष)
8.	संस्कृत/पालि/प्राकृत में आचार्य प्रथमवर्ष/एम.ए. प्रथमवर्ष या समकक्ष	स्नातक परीक्षा के उत्तीर्णता के साथ सभी विषयों में 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड और संस्कृत/पालि/प्राकृत सम्बन्धित विषय में भी 60 प्रतिशत अंकों से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छात्र के पास वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत मुख्य विषय सहित (शास्त्री तृतीयवर्ष/बी.ए. तृतीयवर्ष/बी.ए. तृतीयवर्ष (आनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कम-से-कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है।	रूपये-500/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-5000/- प्रतिवर्ष)
9.	संस्कृत/पालि/प्राकृत में आचार्य द्वितीयवर्ष/एम.ए. द्वितीयवर्ष या समकक्ष	आचार्य प्रथमवर्ष/एम.ए. प्रथमवर्ष में संस्कृत/पालि/प्राकृत मुख्य विषय सहित 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छात्र के पास वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत एक मुख्य विषय होना आवश्यक है।	रूपये-500/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रूपये-5000/- प्रतिवर्ष)
10.	संस्कृत/पालि/प्राकृत में विद्यावारिधि/पीएच.डी या समकक्ष	आचार्य या एम.ए. संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में कुल मिलाकर कम-से-कम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस विज्ञापन से पूर्व छात्र को पीएच.डी पाठ्यक्रम में पंजीकृत होना भी आवश्यक है और पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष से अधिक अन्तराल न हो।	रूपये-1500/- प्रतिमाह 12 महीनों के लिए + रूपये-2000/- प्रतिवर्ष कान्टीजेन्सी (अर्थात् रूपये-20,000/- प्रतिवर्ष) अधिकतम छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिए

इ) छूट -आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए अंक प्रतिशत में छूट देते होते हुए कम-से-कम निम्नलिखित अंकों की प्रतिशतता होना आवश्यक है :-

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	-	55 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी	-	50 प्रतिशत
दिव्यांग श्रेणी	-	50 प्रतिशत

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग छात्रों द्वारा प्राप्तांकों में छूट पाने के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा छात्र अपने स्वयं के नाम जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। माता-पिता अथवा परिवार अन्य किसी सदस्य के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंकों के लिए पात्रता मानदंड में कोई छूट नहीं है। हालांकि भारत सरकार के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ आय (Income) और सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विचार किया जा सकता है।

ई) चयन की रीति -

- (i) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान द्वारा गठित छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर ही संस्थान की छात्रवृत्ति देय होगी।
- (ii) छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा को अनुदान समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) सभी विषयों की कुल प्रतिशतता/ग्रेड तथा संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में प्राप्तांक का प्रतिशत/ग्रेड दोनों मिलाकर छात्रवृत्ति हेतु मेरिट तैयार किया जाएगा। संस्कृत आनर्स/परम्परागत धारा के छात्रों के कुल प्राप्तांकों/ग्रेड/प्रतिशतता ही मेरिट के लिए विचारणीय होगी।
- (iv) चयनित छात्रों की सूची पिछली कक्षा के प्राप्तांकों की कट-ऑफ प्रतिशतता के आधार तैयार की जाएगी।

उ) अनुबंधन तथा शर्तें -

1. छात्रों द्वारा वर्तमान कक्षा में संस्कृत/पालि/प्राकृत विषयों में से कोई भी विषय लेना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति प्रदान करने का आधार पिछली कक्षा में उक्त विषयों तथा सभी विषयों को मिलाकर प्रतिशतता तैयार होगी।
2. छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक सत्र में 1 जुलाई से आगामी 30 अप्रैल तक (10 माह) देय होगी। छात्रवृत्ति पिछली कक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। अतः छात्रों को हर वर्ष नये रूप से आवेदन करना होगा। इसका स्वतः प्रोन्नति नहीं होगा।
3. संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्ति पर पीएच.डी./विद्यावारिधि हेतु छात्रवृत्ति दो पूर्ण वर्षों (24 माह) के लिए दी जाएगी। द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु शोधकर्ता को मार्गदर्शक एवं विभागाध्यक्ष के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र तथा कृत शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन जमा करना होगा।
4. योजना के अनुसार अस्थायी चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सत्यापन हेतु अस्थायी अर्ह छात्रों की सूची ई-मेल/डाक से सम्बद्ध संस्थाओं के प्राचार्य/अध्यक्ष/डीन को प्रेषित की जाएगी।

5. अस्थयी रूप से चयनित छात्रों की सूची प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/डीन के द्वारा सत्यापित कर निम्नलिखित प्राधिकारियों से यथानियम प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा :-
- मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए - राजकीय शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
 - राजकीय विद्यालयों के लिए - सम्बन्धित विद्यालय का प्राचार्य
 - केन्द्रीय विद्यालयों के लिए - सम्बन्धित विद्यालय का प्राचार्य
 - राजकीय महाविद्यालयों के लिए - सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य
 - सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए - विश्वविद्यालय का कुलसचिव जहाँ से महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त है।
 - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के लिए - सम्बद्ध संस्था का प्राचार्य

निर्धारित समय के भीतर सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/डीन से अस्थयी रूप से चयनित छात्रों की सूची सत्यापित कर सम्बन्धित प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित मूल प्रति (हार्डकॉपी) संस्थान को प्राप्त होने के बाद ही छात्रवृत्ति जारी की जाएगी।

6. ऊपर लिखित प्राधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित छात्रों का विवरण मान्य नहीं होगा।
7. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार्य है। आवेदन के समय कोई भी दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड या डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से संस्थान को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
8. बैंक खाता से आधार कार्ड का लिंक करना अनिवार्य है।
9. छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम जुलाई के शैक्षणिक सत्र से देय होगा। स्वीकृत राशि का भुगतान सीधे छात्र के खाते में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली/ई-स्थानान्तरण/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जाएगा और उसी सूचना सम्बन्धित विद्यालय/संस्था/विश्वविद्यालय को ई-मेल/डाक द्वारा भेजी जाएगी।
10. यदि किसी छात्र ने इस शैक्षणिक सत्र में अन्य किसी संस्था से छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता प्राप्त की है तो उस छात्र को योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। छात्रवृत्ति अवधि के दौरान यदि कोई छात्र पारिश्रमिक कार्य अथवा अन्य पाठ्यक्रम जिसमें संस्कृत का समावेश नहीं है, ऐसे छात्र भी इस छात्रवृत्ति पाने के लिए योग्य नहीं होंगे।
11. सभी छात्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करना होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों को होना आवश्यक है:-
- वह संस्कृत/पाली/प्राकृत पाठ्यक्रम का नियमित छात्र है जिस छात्रवृत्ति के लिए उसने आवेदन किया है
 - उसने किसी अन्य स्तोत्र के माध्यम से छात्रवृत्ति या वर्ती (स्टापेंड) प्राप्त नहीं की है।
 - वह कहीं पर कार्यरत नहीं है।
 - यदि छात्र ने किसी अन्य स्तोत्र से माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त की है अथवा वह कार्यरत है तो उसे तत्काल संस्थान को उचित माध्यम से अवगत करना होगा।
12. जिस छात्र ने बी.एड. करने के पश्चात् एम.ए. में प्रवेश लिया है उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बी.ए. कक्षा में प्राप्तांक को आधार माना जाएगा। बशर्ते पढ़ाई में कोई अन्तराल नहीं हो। इसी प्रकार यदि कोई छात्र बी.एड./एम.एड./एम.फिल पूर्ण करने के बाद पी.एच.डी./विद्यावारिधि में प्रवेश लेता है तो छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उसके एम.ए. में प्राप्तांक आधार होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पीएच.डी./विद्यावारिधि शोधकर्ता का एम.ए. के पश्चात् अधिकतम दो वर्षों का अन्तराल ही माना जा सकता है।
13. छात्रवृत्ति की प्राप्ति हेतु एक वर्ष अथवा दो सत्रार्द्ध में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय सहित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक है।

14. छात्र द्वारा संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय में ऐच्छिक रूप से प्राप्तांको को भी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा।
15. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये गये राज्य के कॉलम में राज्य शब्द का अर्थ जहाँ पर आवेदक अध्ययनरत है उस राज्य का उल्लेख करना होगा।
16. जहाँ कहीं अंक पत्र में आधुनिक भारतीय भाषा 1/2/3 के रूप में अंक दर्शाये हों वहाँ पर संस्कृत भाषा विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
17. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की अवधि के दौरान छात्र केवल एक बार ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें।
18. विज्ञापन से पूर्व, ऑफ लाईन, अपूर्ण, पुराने फॉरमेट और अलग से मुद्रित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. आवश्यकतानुसार अनुबंधन एवं शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा। किसी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार भी संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

कुलसचिव